रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122020-223623 CG-DL-E-18122020-223623

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 2020/ अग्रहायण 18, 1942

No. 351]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2020/AGRAHAYANA 18, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 3 दिसम्बर. 2020

ई-बोली के माध्यम से घरेलू उत्पादित प्राकृतिक गैस के लिए बाजार मूल्य की खोज

- सं. अन्वेषण–15022(13)/234/2019-ओएनजी-डीवी (पी-32114).—"प्राकृतिक गैस विपणन सुधार" संबंधी दिनाँक 16.10.2020 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना संख्या 300 के अनुसार और अनुक्रम में, भारत सरकार, घरेलू उत्पादित प्राकृतिक गैस के लिए बाजार मूल्य की खोज करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएँ अधिसूचित करती है:
- 1. यह प्रक्रिया दस्तावेज, संविदा के प्रावधानों और उपर्युक्त उल्लिखित राजपत्र अधिसूचना के अनुसार ई-बोली के माध्यम से एक संविदाकार द्वारा घरेल उत्पादित प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- 2. संविदाकार, अनुलग्नक-l की सूची के अनुसार हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) द्वारा सूचीबद्ध की गई एजेंसियों से एक स्वतंत्र एजेंसी की सेवाएँ लेगा। एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के नियम और शर्तें अनुलग्नक-l के परिशिष्ट-l पर उपलब्ध है।
- 3. संविदाकार, संभावी खरीदार द्वारा व्यापक भागीदारी, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्राकृतिक गैस के मूल्य को अधिकतम करने की दृष्टि से, निविदा/बोली प्रस्ताव को प्रारूपित करेगा, जिसमें पात्रता मानदंड, बोली पैरामीटर, मूल्यांकन मानदंड, निविदा शुल्क, गैस बिक्री संबंधी समझौते के मुख्य नियम और शर्तें एवं कोई अन्य सुसंगत जानकारी आदि शामिल हैं।

6028 GI/2020 (1)

- 4. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि बोलियाँ जमा करने के लिए डीजीएच की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करवाने की तिथि से कम से कम 21 दिन का स्पष्ट समय प्रदान किया जाए। इसके अलावा, संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के उत्तर/स्पष्टीकरण का समयबद्ध तरीके से दिए जाएँ।
- 5. संविदाकार, प्राकृतिक गैस के संभावी खरीदारों से ई-बोली पोर्टल के माध्यम से बोली आमंत्रित करेगा जिसका कम से कम एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और कम से कम एक स्थानीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र, डीजीएच की वेबसाइट और संविदाकार के घटकों की वेबसाइटों सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से प्रचार किया जाए।
- 6. बोली पूरी होने पर, संविदाकार डीजीएच को बोली बंद होने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें प्रतिभागियों की सूची, पात्र बोलीदाताओं की सूची, मूल्य और मात्रा के साथ चयनित बोलीदाता आदि के साथ विवरण हो। इसके अलावा, संविदाकार और खरीदारों के बीच निष्पादित गैस बिक्री करार (जीएसएज) की एक प्रति डीजीएच को प्रस्तुत की जाएगी।
- 7. संविदाकार और चयनित सूचीबद्ध एजेंसी के बीच एक अलग व्यवस्था के माध्यम से संविदाकार, ई-बोली प्रक्रिया का संचालन के लिए चयनित एजेंसी को सभी शुल्क और प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 8. पूरी कार्यवाही, सरकार के अनुमोदन के बगैर, संविदाकार/निर्माता द्वारा संचालित की जाएगी। तथापि, सरकार को सूचना माँगने और हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा, यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि नियम विरुद्ध कार्य किया गया है।
- 9. राष्ट्रीय तेल कंपनियाँ अर्थात ओएनजीसी और ओआईएल को भी अपने नामांकन क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस के बाजार मूल्य की खोज के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन करेंगी, जहाँ मूल्य निर्धारण और विपणन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
- 10. बोली प्रक्रिया के लिए एजेंसियों के सूचीबद्ध करने संबंधी सभी मुद्दे डीजीएच द्वारा विनिर्णीत किए जाएंगे। गैस बिक्री संबंधी नीति के स्पष्टीकरण से जुड़े मुद्दे सरकार द्वारा विनिर्णीत किए जाएँगे।
- 11. मौजूदा गैस बिक्री करार जिन्हें संविदा प्रावधानों के संबंध में बनाया गया है, उक्त करार/ संविदा की अविध तक जारी रहेंगे और तत्पश्चात्, गैस की बिक्री इन दिशानिर्देशों के अध्यधीन होगी। सभी संविदाकार अपने मौजूदा गैस बिक्री करारों की प्रति डीजीएच को उपलब्ध करवाएँगे।

अमर नाथ, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-I

हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संख्या. डीजीएच/ एमएम/ ईएमपी/ 2020/ ईएनक्यू-191/ओआरडी-610 दिनांक: 02 दिसंबर 2020

भारत में उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वतंत्र रूप से नीलामी करने के लिए एजेंसियों का पैनल तैयार करना

संदर्भ:

- 1. 'भारत में उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वतंत्र रूप से नीलामी करने के लिए एजेंसियों का पैनल' तैयार करने के लिए डीजीएच एनआईओ संख्या डीजीएच/एमएम/ईएमपी/2020/ईएनक्यू -191 के तहत मैसर्स एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा बोली की प्रतिक्रिया।
- 2. 'भारत में उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वतंत्र रूप से नीलामी करने के लिए एजेंसियों का पैनल' तैयार करने के लिए डीजीएच एनआईओ संख्या डीजीएच/एमएम/ईएमपी/2020/ ईएनक्यू-191 के तहत मैसर्स एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड द्वारा बोली की प्रतिक्रिया।

- 3. 'भारत में उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वतंत्र रूप से नीलामी करने के लिए एजेंसियों का पैनल' तैयार करने के लिए डीजीएच एनआईओ संख्या डीजीएच/एमएम/ईएमपी/2020/ईएनक्यू-191 के तहत मैसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा बोली की प्रतिक्रिया।
- 4. 'भारत में उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वतंत्र रूप से नीलामी करने के लिए एजेंसियों का पैनल' तैयार करने के लिए डीजीएच एनआईओ संख्या डीजीएच/एमएम/ईएमपी/2020/ईएनक्यू-191 के तहत मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा बोली की प्रतिक्रिया।
- 5. 'भारत में उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वतंत्र रूप से नीलामी करने के लिए एजेंसियों का पैनल' तैयार करने के लिए डीजीएच एनआईओ संख्या डीजीएच/एमएम/ईएमपी/2020/ ईएनक्यू -191 के तहत मैसर्स क्रिसिल रिस्क एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा बोली की प्रतिक्रिया।

दिनांक 18.10.2020 डीजीएच एनआईओ संख्या डीजीएच/एमएम/ईएमपी/2020/ईएनक्यू -191 संशोधन में निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार 'भारत में उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वतंत्र रूप से नीलामी करने के लिए एजेंसियों का पैनल' तैयार करने के लिए निम्नलिखित एजेंसियों को एतद्वारा पैनलबद्ध किया जाता है:

- 1. मैसर्स एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
- 2. मैसर्स एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड
- 3. मैसर्स राइट्स लिमिटेड
- 4. मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड
- 5. मैसर्स क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन लिमिटेड

पैनल तैयार करने के लिए निबंधन और शर्तें परिशिष्ट I में बताई गई हैं और जब तक डीजीएच द्वारा इनमें संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक यह पूरे कार्यकाल के दौरान लागू रहेंगी।

पैनलबद्ध एजेंसियों द्वारा ई-नीलामी प्रक्रिया के लिए संलग्न प्रारूप के अनुसार निबंधन और शर्तें स्वीकार करने और ई-नीलामी प्रक्रिया संचालित करने के लिए हितों के टकराव के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में वचनबद्धता उपलब्ध करवाना अपेक्षित है।

सभी अधिकार प्राप्त एजेंसियां इस पत्र के जारी होने की तारीख से सात दिनों के भीतर वचनबद्धता प्रस्तुत करके निबंधन और शर्तें स्वीकार करने की पुष्टि करेंगी।

एजेंसियों को पैनलबद्ध करने के संबंध में किसी भी मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए डीजीएच को पत्र लिखा जा सकता है।

हस्ताक्षर/-

डॉ. आनंद गुप्ता, अपर महा निदेशक (विकास)

निम्नलिखित को जारी:

- 1. मैसर्स एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
- 2. मैसर्स एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड
- 3. मैसर्स राइट्स लिमिटेड
- 4. मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड
- 5. मैसर्स क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन लिमिटेड

परिशिष्ट - I

पैनल बनाने संबंधी नियम और शर्तें

1. पैनल की अवधि:

जब तक अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाता है, पैनल की अविध, पैनल की अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ में तीन (03) वर्षों के लिए होगी।

2. शुल्क और भुगतान:

प्राकृतिक गैस संबंधी संविदाकार (जिसे बाद में "विक्रेता" कहा जाता है), विक्रेता और विक्रेता द्वारा नियुक्त पैनलबद्ध एजेंसी के बीच सहमत एक अलग व्यवस्था के माध्यम से प्रदान की गई अपनी सेवाओं के लिए पैनलबद्ध एजेंसी को सभी शुल्क/प्रभारों का भुगतान करेगा।

3. हित संबंधी परस्पर विरोध:

- क) पैनलबद्ध एजेंसी हर समय पेशेवर, उद्देश्यपरक और निष्पक्ष सलाह/सेवा प्रदान करेगी और नीलामी प्रक्रिया को स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित करेगी और ऐसी सेवाएं प्रदान करने में किसी भी अन्य असाइनमेंट/कार्य और अपने स्वयं के नैगम हितों के साथ टकराव से बचेंगी।
- ख) पैनलबद्ध एजेंसी, उनके अपने कार्मिक और उप-सलाहकार या उनके सहयोगी ऐसे किसी भी कार्य में शामिल नहीं होंगे जो इस पैनल के तहत हितों के टकराव का कारण बने या उन्हें एक स्वतंत्र तरीके से नीलामी आयोजित करने में असमर्थ बनाए।
- ग) पैनलबद्ध एजेंसी, उनके अपने कार्मिक और उप-सलाहकार या उनके सहयोगी पैनलबद्ध- एजेंसी और विक्रेता के बीच किए गए करार के अनुसार यथा निर्धारित विधिसम्मत भुगतानों के अलावा, सेवाएं देने वाले विक्रेता से किसी भी प्रकार के पारितोषिक प्राप्त नहीं करेंगे।

पैनलबद्ध एजेंसी, ई-नीलामी प्रक्रिया के संचालन के लिए गैस के विक्रेता द्वारा तैनाती के समय हितों के टकराव के लिए उपरोक्त शर्तों के अनुसार किसी भी परस्पर विरोधी गतिविधियों के बारे में डीजीएच को एक घोषणा पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है।

4 अन्य नियम और शर्तें:

- क) पैनलबद्ध एजेंसी, अकेले अथवा परिसंघ के मामले में सभी सदस्य, भारत में उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए ई-नीलामी के संचालन के लिए पूरी तरह से या सभी सदस्य, संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे।
- ख) ई-बोली के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का सुरक्षा मानक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा निर्धारित मानकों और दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा। ई-बोली प्लेटफॉर्म की सुरक्षित और विश्वसनीय ई-नीलामी और प्रणली अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाएगा:
 - विकसित सॉफ्टवेयर और प्रणाली के सही कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए लगाई गई प्रणाली को कार्यक्षमता, सुरक्षा, प्रदर्शन आदि के लिए परीक्षण किया जाएगा। दिनांक 17 सितम्बर, 2009 के परिपत्र सं 29/09/09 द्वारा जारी केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), की अपेक्षाओं और समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्रों के अनुसार परीक्षण, पूर्व तैनाती चरण और संचालन चरणों के दौरान सत्यापित किया जाएगा।
 - स्रोत कोड और निष्पादन योग्य फ़ाइलों को बोली शुरू होने से पहले सुरक्षित रूप से एस्क्रो में संग्रहीत किया जाएगा और बाद में फ़ाइलों का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।
 - सभी व्यक्तिगत स्रोत कोड फ़ाइलों और निष्पादन योग्य फ़ाइलों के हैश को बोली लगाने से पहले सही किया जाएगा और संबंधित पणधारकों से साझा किया जाएगा और ऑडिट टेल्स/लॉग का हिस्सा होगा।
 - बोली लगाने के दौरान स्रोत कोड के संशोधन का पता लगाने का तंत्र स्वचालित होगा और केवल ऑडिट लॉग पढ़ने के लिए भी भेजा जाएगा।
- ग) पैनलबद्ध एजेंसी को पैनल अवधि के दौरान आईएसओ 27001 मानकों का अनुपालन करना होगा।

- घ) पैनलबद्ध एजेंसी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेगी।
- ड.) यदि पैनलबद्ध एजेंसी द्वारा किसी भी भ्रामक/झूठी घोषणा दी जाती है तो एजेंसी को पैनल से बाहर कर दिया जाएगा।
- च) डीजीएच को एक यह अधिकार है कि वह किसी ऑडिटर/तीसरे पक्षकार या किसी भी नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई ई-नीलामी सेवाओं के संबंध में पैनलबद्ध एजेंसी की जांच करा सकती है। पैनलबद्ध एजेंसी, जब भी ऑडिटर्स/तीसरा पक्षकार/नियामक प्राधिकरण को आवश्यकता होती है, सभी संबंधित सूचना, रिकॉर्ड/डेटा प्रस्तुत करते हैं। इस तरह के ऑडिट के दौरान जहां किसी भी तरह की खामी देखने को मिलती है, तो एजेंसी जल्द से जल्द इसे ठीक/हल करेगी और इसके समाधान के लिए अपेक्षित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएगी।
- छ) पैनलबद्ध एजेंसी के प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा डीजीएच द्वारा तैयार और उपलब्ध समय-समय पर एक स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र द्वारा की जाएगी। यदि विक्रेता या गैस खरीदारों को एजेंसी के विरूद्ध को शिकायत, यदि कोई हो, इस तंत्र के माध्यम से कराई जाएगी।
- ज) डीजीएच के पास अधिकार है कि वह किसी भी समय नियमों और शर्तों को संशोधित कर सकता है या पैनल को रद्द कर सकता है, या किसी भी समय पैनलबद्ध एजेंसी द्वारा ई-नीलामी को रद्द या निलंबित कर सकता है, यदि डीजीएच की राय में, यह आवश्यक या समीचीन है अथवा जनहित या राज्य की सुरक्षा के हित में या ई-नीलामी के उचित संचालन के लिए ऐसा करना आवश्यक है। डीजीएच का निर्णय इस संबंध में अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- झ) पैनलबद्ध एजेंसी द्वारा एनआईओ संख्या डीजीएच/एमएम/ईएमपी/2020/ईएनक्यू-191 संशोधन 1 दिनांक 18.10.2020, में यथा विनिर्धारित अन्य सभी सहमत शर्तें तब तक लागू रहेंगी जब तक कि डीजीएच द्वारा अन्यथा संशोधित नहीं किया जाता।

ई-नीलामी प्रक्रिया के संचालन के लिए नियमों और शर्तों की स्वीकृति और परस्पर हितों के टकराव के बारे में घोषणा हेतु प्रारूप

- 1.0 हम एतद्वारा अवार्ड सं. डीजीएच/एमएम/ईएमपी/2020/ईएनक्यू-191/ओआरडी-610 दिनांक 02.12.2020 की पावती देते हैं और पैनल बनाने के लिए अवार्ड सूचना तथा परिशिष्ट-I में यथा-उल्लिखित नियमों और शर्तों पर अपनी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं।
- 2.0 हम ई-नीलामी प्रक्रिया आयोजित करने के लिए गैस विक्रेता द्वारा नियुक्ति के समय हितों के टकराव के संबंध में परिशिष्ट-I में उल्लिखित शर्तों के अनुसार किन्ही परस्पर विरोधी कार्यकलापों के संबंध में डीजीएच को घोषणा प्रस्तुत करने की भी एतद्वारा पृष्टि करते हैं। इन शर्तों को निम्नानुसार दोहराया गया है:
- क) पैनलबद्ध एजेंसी हर समय पेशेवर, उद्देश्यपरक और निष्पक्ष सलाह/सेवा प्रदान करेगी और नीलामी प्रक्रिया को स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित करेगी और ऐसी सेवाएं प्रदान करने में किसी भी अन्य असाइनमेंट/कार्य और अपने स्वयं के नैगम हितों के साथ टकराव से बचेंगी।
- ख) पैनलबद्ध एजेंसी, उनके अपने कार्मिक और उप-सलाहकार या उनके सहयोगी ऐसे किसी भी कार्य में शामिल नहीं होंगे जो इस पैनल के तहत हितों के टकराव का कारण बने या उन्हें एक स्वतंत्र तरीके से नीलामी आयोजित करने में असमर्थ बनाए।
- ग) पैनलबद्ध एजेंसी, उनके अपने कार्मिक और उप-सलाहकार या उनके सहयोगी पैनलबद्ध- एजेंसी और विक्रेता के बीच किए गए करार के अनुसार यथा-निर्धारित विधिसम्मत भुगतानों के अलावा, सेवाएं देने वाले विक्रेता से किसी भी प्रकार के पारितोषिक प्राप्त नहीं करेंगे।

हस्ताक्षर:	_
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:	
दिनांक:	
एजेंसी का नाम:	
मुहर:	

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2020

Discovery of Market Price for Domestically Produced Natural Gas through e-bidding

No. Expl-15022(13)/234/2019-ONG-DV (P-32114).—In accordance with and in continuation of Gazette Notification No. 300 published on 16.10.2020 on "Natural Gas Marketing Reforms", under reference of even number dated 15.10.2020, the Government of India, hereby notifies the following process to discover market price for domestically produced Natural Gas:

- 1. This process document sets the procedure for sale of domestically produced natural gas by a Contractor through e-bidding as per provisions of contract and the Gazette Notification referred above.
- 2. The Contractor shall engage an Independent agency from the agencies empanelled by Directorate General of Hydrocarbons (DGH) as per the list at *Annexure- I*. Terms and conditions for empanelment of agencies is available at Appendix-I of *Annexure-I*.
- 3. The Contractor shall design the tender/ bid offer, including eligibility criteria, bid parameters, evaluation criteria, tender fee, salient terms and condition of Gas Sales Agreement and any other relevant information, etc., with a view to encourage wider participation from prospective buyers, promote competition and maximize the value of natural gas offered.
- 4. The Contractor shall ensure that at least 21 days' clear time from the date of hosting of the link on DGH website is provided for submission of bids. Further, the Contractor shall ensure that all queries/ clarifications raised by bidders are responded in a timely manner.
- 5. The Contractor shall invite bids from prospective buyers of natural gas through e-bidding portal widely publicized in at least one English language national daily newspaper and in at least one local language daily newspaper, website of DGH and websites of constituents of Contractor and other platforms including social media.
- 6. On completion of the bidding, the Contractor shall submit a bid closure report to DGH with details such as list of participants, list of qualified bidders, selected bidders with their price and quantity allocated etc. Further, a copy of all the Gas Sales Agreements (GSAs) executed between Contractor and buyers shall be submitted to DGH.
- 7. The Contractor shall be responsible for making payment of all fees and charges to the selected agency for conducting e-bidding process through a separate arrangement between contractor and the selected empanelled agency.
- 8. The entire proceeding will be conducted by the Contractor/producer without any need for approval of the Government. The Government however, will have the right to ask for information and intervene if there are reasons to believe that there is foul play.
- 9. National Oil Companies viz., ONGC and OIL shall also follow the above guidelines for discovery of market price of natural gas produced from their Nomination fields wherever pricing and marketing freedom has been granted.
- 10. All the issues pertaining to empanelment of the agencies for bidding process shall be decided by DGH. Issues pertaining to the clarification on the policy of Gas Sale shall be decided by the Government.
- 11. The existing gas sales agreements, made in connection with contract provisions, would continue till duration of the agreements/contracts and thereafter subsequent sale of gas shall be subject to these guidelines. All Contractors shall provide the copy of their existing gas sales agreements to DGH.

AMAR NATH, Jt. Secy.

Annexure-I

DIRECTORATE GENERAL OF HYDROCARBONS

Ministry of Petroleum and Natural Gas

No. DGH/ MM/ EMP/ 2020/ ENQ-191/ORD-610 Date: 02 December 2020

EMPANELMENT OF AGENCIES TO INDEPENDENTLY CARRY OUT AUCTIONS THROUGH ELECTRONIC PLATFORM FOR THE PRICE DISCOVERY OF NATURAL GAS PRODUCED IN INDIA

Reference:

- 1. Bid response by M/s. SBI Capital Markets Limited against DGH NIO No.: DGH/MM/EMP/2020/ENQ-191 for 'Empanelment of Agencies to Independently Carry Out Auctions through Electronic Platform for the Price Discovery of Natural Gas Produced in India'
- Bid response by M/s. mjunction services limited against DGH NIO No.: DGH/MM/EMP/2020/ENQ-191 for 'Empanelment of Agencies to Independently Carry Out Auctions through Electronic Platform for the Price Discovery of Natural Gas Produced in India'
- 3. Bid response by M/s. RITES Limited against DGH NIO No.: DGH/MM/EMP/2020/ENQ-191 for 'Empanelment of Agencies to Independently Carry Out Auctions through Electronic Platform for the Price Discovery of Natural Gas Produced in India'
- 4. Bid response by M/s. MSTC Limited against DGH NIO No.: DGH/MM/EMP/2020/ENQ-191 for 'Empanelment of Agencies to Independently Carry Out Auctions through Electronic Platform for the Price Discovery of Natural Gas Produced in India'
- 5. Bid response by M/s. CRISIL Risk and Infrastructure Solution Limited against DGH NIO No.: DGH/MM/EMP/2020/ENQ-191 for 'Empanelment of Agencies to Independently Carry Out Auctions through Electronic Platform for the Price Discovery of Natural Gas Produced in India'

Pursuant to acceptance of terms and conditions stipulated in NIO No.: DGH/MM/EMP/2020/ENQ-191 Revision 1 dated 18.10.2020, the following Agencies are hereby empanelled to 'Independently Carry Out Auctions through Electronic Platform for the Price Discovery of Natural Gas Produced in India'-

- 1. M/s. SBI Capital Markets Limited
- 2. M/s. mjunction services limited
- 3. M/s. RITES Limited
- 4. M/s. MSTC Limited
- 5. M/s. CRISIL Risk and Infrastructure Solution Limited

The terms and conditions of empanelment are indicated in *Appendix I* and shall remain applicable throughout the tenure of empanelment unless otherwise modified by DGH.

Empanelled agencies are required to provide an undertaking for acceptance of terms and conditions and declaration regarding conflict of interest for conducting e-auction process as per format attached.

All the empanelled agencies shall confirm their acceptance of terms and conditions within seven days from date of issue of this letter by submission of undertaking.

For clarification on any issue regarding empanelment of agencies, communications may be made to DGH.

Issued to:

- 1. M/s. SBI Capital Markets Limited
- 2. M/s. mjunction services limited
- 3. M/s. RITES Limited
- 4. M/s. MSTC Limited
- 5. M/s. CRISIL Risk and Infrastructure Solution Limited

Appendix – I

Terms and Conditions for Empanelment

1. Duration of the Empanelment:

The duration of empanelment will be for an initial period of three (03) years from the date of notification of empanelment unless notified otherwise.

2. Fees and Payments:

The Contractor (hereinafter called "Seller") of natural gas shall pay all the fees/ charges to empanelled agency for its services rendered through a separate arrangement agreed between the empanelled agency engaged by the Seller and the Seller.

- 3. Conflict of Interest:
- a) Empanelled agency shall provide professional, objective and impartial advice/ service at all times and hold the auction process in an independent, transparent and fair manner and in providing such services avoid conflict with any other assignment/ work and their own corporate interests.
- b) Empanelled agency, including their personnel and sub-consultants or any of their affiliates shall not engage in any activity that may result in conflict of interest under this empanelment or that may place them in a position of being unable to carry out the auctions in an independent manner.
- c) Empanelled agency, including their personnel and sub-consultants or any of their affiliates shall not receive remuneration in any form from the Seller engaging it except the legitimate payments as consideration for the services provided, as per the agreement between the empanelled agency and the Seller.
 - Empanelled agency is required to provide a declaration to DGH regarding any conflicting activities as per the above conditions for conflict of interest at the time of engagement by Seller of gas for conducting e-auction process.
- 4. Other Terms and Conditions:
- a) The empanelled agency, solely or all the members, in case of consortium, shall be jointly and severally responsible for conducting e-auction for price discovery of natural gas produced in India.
- b) The security standard of software solution to be used for e-bidding shall be duly compliant with standards and guidelines prescribed by Ministry of Electronics and Information Technology (MeiTY). In order to ensure secure and reliable e-auctions and system integrity of the e-bidding platform, the following shall be ensured:
 - The deployed system shall be tested for functionality, security, performance, etc. to ascertain correct implementation of developed software and system. The requirements of Central Vigilance Commission (CVC), issued vide Circular No. 29/09/09 dated 17th September, 2009 and as amended from time to time, shall be verified during testing, pre-deployment stage and operation stages.
 - The source code and executable files shall be securely stored in Escrow before bidding starts and no modification of files be done later.
 - Hashes of all individual source code files and executable files shall be taken before the bidding and be shared to relevant stakeholders and be part of the audit trails/logs.
 - Mechanism to detect modification of source code during bidding shall be done automatically and also be sent to read only audit logs.
- c) The empanelled agency shall remain complied to ISO 27001 standards during the period of empanelment.

- d) The empanelled agency shall comply with the guidelines prescribed from time to time by Ministry of Petroleum and Natural Gas.
- e) In case any misleading/false declaration by empanelled agency, the agency shall be liable to be deempanelled.
- f) DGH reserves the right to get the empanelled agency audited by an auditor/third party or any regulatory authority in connection with the e-auction services provided. The empanelled agency shall, whenever required by the auditors/third party/regulatory authority, furnish all relevant information, records/data to them. Where any deficiency is observed during such audit, the empanelled agency shall correct/resolve the same at the earliest and shall provide all necessary documents related to resolution thereof.
- g) The performance of the empanelled agency shall be monitored and reviewed periodically by an independent oversight mechanism, devised and made available by DGH. Complaints/ grievances by the Seller or buyers of gas, if any, against the agency, will be routed through this mechanism.
- h) DGH reserves the right to modify terms and conditions of the empanelment or cancel the empanelment, or to cancel or suspend the e-auction by the empanelled agency at any time, if in the opinion of the DGH, it is necessary or expedient to do so in public interest or interest of the security of the State or for proper conduct of the e-auction. The decision of DGH shall be final and binding in this regard.
- i) All other terms and conditions specified under the NIO No.: DGH/MM/EMP/2020/ENQ-191 Revision 1 dated 18.10.2020, as agreed by empanelled agency, shall remain applicable and to be complied by the empanelled agency unless otherwise modified by DGH.

Format for undertaking for acceptance of terms and conditions and declaration regarding conflict of interest for conducting e-auction process

- 1.0 We hereby acknowledge receipt of Notice of Award No DGH/ MM/ EMP/ 2020/ENQ-191/ORD-610 dated 02.12.2020 and confirm acceptance of terms and conditions for empanelment as mentioned in Appendix- I to the Notice of Award.
- 2.0 We also hereby confirm to submit declaration to DGH regarding any conflicting activities as per the conditions mentioned in Appendix-I regarding conflict of interest at the time of engagement by seller of gas for conducting e-auction process which are provided as under:
 - a) Empanelled agency shall provide professional, objective and impartial advice/ service at all times and hold the auction process in an independent, transparent and fair manner and in providing such services avoid conflict with any other assignment/ work and their own corporate interests.
 - b) Empanelled agency, including their personnel and sub-consultants or any of their affiliates shall not engage in any activity that may result in conflict of interest under this empanelment or that may place them in a position of being unable to carry out the auctions in an independent manner.
 - c) Empanelled agency, including their personnel and sub-consultants or any of their affiliates shall not receive remuneration in any form from the Seller engaging it except the legitimate payments as consideration for the services provided, as per the agreement between the empanelled agency and the Seller.

Signature:	
Name of Authorized Signatory:	
Date:	
Name of Agency:	
Seal:	